

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/286

मुकदमा नम्बर 77/2025

दर्ज दिनांक— 22.05.2025

मुखराम धायल पुत्र अर्जुन राम जाति जाट निवासी चारां का बास तन परसरामपुरा, तहसील  
नवलगढ़ जिला झुझुनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री सज्जन चाहर, श्री नेमीचन्द डूडी  
वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 10.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम चारां का बास पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 119 पुराना 109 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 3007 रकबा 0.22 है0 जिसमें आवेदक का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें आवेदक का नाम मुखराम पुत्र अर्जन दर्ज है जो गलत है।

इसी ग्राम में भूमि खाता सं. नया 180 पुराना खाता संख्या 142 की भूमि खसरा नम्बर 3362, 3363, 3364, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3413, 3414, 3415, 3416 कुल कित्ता 13 कुल रकबा 2.0900 है0 भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/192 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम मुखराम पुत्र अर्जन है तथा इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 198 पुराना 62 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 3013, 3014, 3020, 3021, 3022, 3024, 3025, 3028, 3278, 3280, 3287, 3290 कुल कित्ता 12 कुल रकबा 3.9200 है0 भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम मुखराम पुत्र अर्जन दर्ज है जो गलत दर्ज है। तथा ग्राम भरवाड़ी पटवार हल्का टौंकछिलरी में स्थित भूमि खाता संख्या नया 192 पुराना खाता संख्या 60 की भूमि खसरा नम्बर 346 रकबा

1.6900 है० तथा भूमि खसरा नम्बर 347 रकबा 1.5500 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3.2400 है० भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम मुकाराम पुत्र अर्जुन दर्ज है जो गलत दर्ज है तथा ग्राम भरवाड़ी पटवार हल्का टाँकछिलरी में स्थित भूमि खाता संख्या नया 191 पुराना खाता संख्या 60 की भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 1.2500 है० भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम मुकाराम पुत्र अर्जुन दर्ज है जो गलत दर्ज है तथा भरवाड़ी पटवार हल्का टाँकछिलरी में स्थित भूमि खाता संख्या नया 103 पुराना खाता संख्या 99 की भूमि खसरा नम्बर 440 रकबा 0. 1400 है० तथा भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 0.2700 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.4100 है० भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम मुखाराम पुत्र अर्जुन दर्ज है जो गलत दर्ज है तथा इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 102 पुराना 98 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 431 रकबा 0.6300 है० भूमि स्थित है जिसमें आवेदक का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें आवेदक का नाम मुखाराम पुत्र अर्जुन दर्ज है जो गलत दर्ज है जबकि आवेदक का सही व वास्तविक नाम मुखाराम धायल पुत्र अर्जुन राम है जो सही है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी अपना नाम सही व दुरुस्त करवाने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान जी की सेवामें पेश कर रहा है। इसलिये उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम मुकाराम पुत्र अर्जुन, मुखाराम पुत्र अर्जुन, मुखाराम पुत्र अर्जुन के स्थान पर मुखाराम धायल पुत्र अर्जुन राम दुरुस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक/भूअ./25/9250 दिनांक 26.08.2025 पेश हुई।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक/भूअ./25/9250 दिनांक 26.08.2025 के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ तथा प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम चारां का बास पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में भूमि खाता सं. नया 119 पुराना 109 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 3007 रकबा 0.22 है० जिसमे आवेदक का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें आवेदक का नाम मुखाराम पुत्र अर्जुन दर्ज है जो गलत है। इसी ग्राम में भूमि खाता सं. नया 180 पुराना खाता संख्या 142 की भूमि खसरा नम्बर 3362, 3363, 3364, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3413, 3414, 3415, 3416 कुल किता 13 कुल रकबा 2.0900 है० भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/192 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम मुखाराम पुत्र अर्जुन है तथा इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 198 पुराना 62 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 3013, 3014, 3020, 3021, 3022, 3024, 3025, 3028, 3278, 3280, 3287, 3290 कुल किता 12 कुल रकबा 3.9200 है०

भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम मुखराम पुत्र अर्जुन दर्ज है जो गलत दर्ज है। तथा ग्राम भरवाड़ी पटवार हल्का टाँकछिलरी में स्थित भूमि खाता संख्या नया 192 पुराना खाता संख्या 60 की भूमि खसरा नम्बर 346 रकबा 1.6900 है० तथा भूमि खसरा नम्बर 347 रकबा 1.5500 है० कुल किता 2 कुल रकबा 3.2400 है० भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम मुकाराम पुत्र अर्जुन दर्ज है जो गलत दर्ज है तथा ग्राम भरवाड़ी पटवार हल्का टाँकछिलरी में स्थित भूमि खाता संख्या नया 191 पुराना खाता संख्या 60 की भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 1.2500 है० भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम मुकाराम पुत्र अर्जुन दर्ज है जो गलत दर्ज है तथा भरवाड़ी पटवार हल्का टाँकछिलरी में स्थित भूमि खाता संख्या नया 103 पुराना खाता संख्या 99 की भूमि खसरा नम्बर 440 रकबा 0.1400 है० तथा भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 0.2700 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.4100 है० भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम मुखाराम पुत्र अर्जुन दर्ज है जो गलत दर्ज है तथा इसी ग्राम में भूमि खाता संख्या नया 102 पुराना 98 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 431 रकबा 0.6300 है० भूमि स्थित है जिसमें आवेदक का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें आवेदक का नाम मुखाराम पुत्र अर्जुन दर्ज है जो गलत दर्ज है जबकि आवेदक का सही व वास्तविक नाम मुखराम धायल पुत्र अर्जुन राम है जो सही है।

इसलिये उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम मुकाराम पुत्र अर्जुन, मुखाराम पुत्र अर्जुन, मुखराम पुत्र अर्जुन इत्यादी नाम के स्थान पर, मुखराम धायल पुत्र अर्जुन राम दुरुस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/9250 दिनांक 26.08.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( सुशील कुमार सैनी )RAS  
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़  
जिला-झुझुनू

17/09/2025

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ

क्रमांक / भू अ / 2025 / 9250

दिनांक 26/8/2025

प्रेषित : - श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

नवलगढ

विषय : -उनवानी प्रकरण मुखराम धायल बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न.77 /2025 अ.धा.136 के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

संग : -श्रीमान के आदेश क्रमांक कोर्ट /तहसीर/ 25/341 दिनांक 23.05.2025 की पालना में।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है माननीय न्यायालय के उनवानी प्रकरण मुखराम धायल बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न.77 /2025 अ.धा.136 के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पटवारी हल्का परसरामपुरा से प्राप्त हुई है। जो मूल ही श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न : - मूल रिपोर्ट

तहसीलदार (भू.अ.)  
नवलगढ

Rev.  
26-8-25

2-11/01  
26-8-25

छठे मौका रिपोर्ट ग्राम - चारा का वास

आज दिनांक 05/08/25 को श्रीमान कार्यालय तहसीलगा (भू.अ.) नवलगढ़ के अधिकारी  
क्रमांक | भू.अ./2025/0529 दिनांक 23/06/2025 की पालना में अनवानी प्रकला  
मुखराम धायल बनाम तहसीलगा नवलगढ़ मुकदमा नम्बर 77/2025 अं. धा. 136  
में तथात्मक रिपोर्ट चाही गई थी जो मुखबिंद रायस्थ रिपोर्ट ग्राम चारा का  
वास जमाबंदी एम्बर 2015-18 के खाल नं. 119 की खालगरी मुखराम पुत्र अर्जुन  
खाल नं. 180 की खालगरी मुखराम पुत्र अर्जुन व खाल नं. 198 की खालगरी  
मुखराम पुत्र अर्जुन रायस्थ रिपोर्ट दर्ज है। जबकि जमीन द्वारा प्रस्तुत  
दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड व राशन कार्ड में जमीनी का नाम मुखराम  
धायल पुत्र अर्जुन राम है तथा मजमेआम में पुख्ता करने पर भी  
जमीनी का नाम मुखराम धायल पुत्र अर्जुन राम ही लगाया है।

अतः जमीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड  
के आधार पर व मजमेआम में पुख्ता करने के आधार पर जमीनी का  
नाम ग्राम चारा का वास के खाल नं. 119, 180, 198 में मुखराम पुत्र अर्जुन  
के खान पर मुखराम धायल पुत्र अर्जुन राम सही किया जाना उचित है।  
रिपोर्ट सेवा में सादर फेर है।

- दस्तावेज - (1) आधार कार्ड की प्रति  
(2) राशन कार्ड की प्रति  
(3) पैन कार्ड की प्रति

05/08/25  
मुखराम धायल

दिनेश कुमार जांजिड़  
विष्णु कुमार

रणधीर सिंह  
रुन सिंह  
पिन्टू कुमार  
(मुहर)